



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 6181/अका./सम्बद्धता/2015

रायपुर, दिनांक : 04/11/2015

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2015 की अनुशंसा एवं विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.09.2015 व कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 के अनुमोदनानुसार एलिगेंट कालेज, भरकापारा, राजनादगांव (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.B.A. (II Year)	30	2014-15
2.	B.B.A. (III Year)	30	2015-16

शर्त :-

- विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2015 एवं 23.09.2015 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक 318/आउशि/अशै.प्र./2015 दिनांक 12.03.2015 के द्वारा B.B.A. के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 - प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 - शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 - समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 - निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
 - प्राचार्य पद की नियुक्ति तत्काल कराएँ।
 - परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण करें।
 - जॉच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।
 - महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करें।
 - तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करें।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

[Signature]
उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 6182/अका./सम्बद्धता/2015

रायपुर, दिनांक : 04/11/2015

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंदरावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

[Signature]
कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संयोजन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सकें।]

- ⇒ College is running in a temporary Building
- ⇒ Principal is not appointed under college code 28
- ⇒ Books available in the library are not adequate & needs to purchase at least books worth Rs 10,000 for BBA Dns & 4th year courses.
- ⇒ Three teachers are appointed ^{for BBA programme} under sec. 28 and were present during our visit.
- ⇒ College environment as a whole was not very encouraging.

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर

Rajendra P. Das
(R. P. Das)

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम-पता

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता

Shyam Shyam

दिनांक 7/9/15

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

===